न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 34 / 2019

1. महादेव राम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी ग्राम बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये: तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती अं.धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम, वकील वादी की ओर से।

नि र्ण य दिनांक – 05.08.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त में सार इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 303, 304, 307, 324, 325, 328, 329, 339, 331, 333, 334, 335, 336 व 340 किता 14 कुल रकबा 19.3300 हैक्टर वाके ग्राम बल्लूपुरा पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारमगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी / आवेदक का हिस्सा 15 आना कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा कृषि भूमियां खसरा नम्बर 213 ता 218, 222 ता 224 किता 9 कुल रकबा 0.93 हैक्टर वाके ग्राम बाज्यावास पटवार हल्का बाज्यावास तहसल दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें आवेदक का हिस्सा 1 / 12 कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा दर्ज है। इस प्रकार ग्राम बाज्यावास की भूमियों में उसका नाम माधु पुत्र चतरा दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम महादेव राम पुत्र चतराराम है। प्रार्थी को महादेव राम व माधु दोनों ही नामों से पुकारा जाता है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा परिवार–राशनकार्ड, आधारकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम महादेवराम दर्ज है जबकि प्रार्थी की ग्राम बाज्यावास में अवस्थित भूमियों में नाम माधु दर्ज है जो दुरूस्त किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी भारतीय

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

सेना सें सेवानिवृत्त है तथा सेना रिकॉर्ड में भी प्रार्थी का नाम महादेवराम पुत्र चतराराम दर्ज है तथा प्रार्थी की ग्राम बल्लूपुरा में अवस्थित भूमियों में भी महादेवराम पुत्र चतराराम ही दर्ज है परन्तु ग्राम बाज्यावास में अवस्थित प्रार्थी की भूमियों में संहवन सें प्रार्थी का नाम माधु पुत्र चतरा दर्ज है जो गलत है व दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः आवेदन पेश कर अंत में प्रार्थी द्वारा यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन की मद सं0 2 में वर्णित भूमि अर्थात ग्राम बाज्यावास में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 213 ता 218, 222 ता 224 किता 9 कुल रकबा 0.93 हैक्टर में प्रार्थी का नाम माधु पुत्र चतरा को दुरूस्त किया जाकर सही व वास्तविक रूप सें "महादेवराम पुत्र चतराराम" संशोधित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ की ओर सें जवाब पेश किया गया। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि ग्राम बाज्यावास में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 213 ता 218, 222 ता 224 किता 9 कुल रकबा 0.93 हैक्टर में प्रार्थी का नाम माधु पुत्र चतरा को दुरूस्त किया जाकर "महादेवराम पुत्र चतराराम" दर्ज किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की ओर सें पेश जवाब का अधोपांत अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम ग्राम बल्लूपुरा में अवस्थित भूमियों में सही दर्ज है तथा पेनकार्ड, आधारकार्ड, वोटरकार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम महादेवराम दर्ज है। प्रार्थी ग्राम बाज्यावास के खसरा नम्बर 213 ता 218, 222 ता 224 किता 9 कुल रकबा 3.58 हैक्टर भूमि का विरासत के नामांतरण सं0 278 जरिये विरासत प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थी का नाम माधुराम गलत अंकित ह। प्रार्थी का सही नाम माधुराम के स्थान पर महादेवराम पुत्र चतराराम किया जाना उचित है।" प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार दांतारामगढ की ओर सें पेश जवाब के आधार पर न्यायहित में **प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बाज्यावास पटवार हल्का बाज्यावास की भूमि खसरा नम्बर 213 ता 218, 222 ता 224 किता 9 कुल रकबा 3.58 हैक्टर में माधु पुत्र चतरा के स्थान पर महादेवराम पुत्र चतराराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

जाते है शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner